सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 135 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :–11.07.2024

GCMS ID–2024 / 211

उनवान

1. कैलाश आ0 रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बदाम बाई पत्नी रामस्वरूप जाति महांजन निवासी खेरखटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. बालकिशन आ0 रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजू आ0 रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामरतन आ0 हरदेव जाति गुर्जर निवासी अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामस्वरूप आ0 कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दुर्गालाल आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– श्री भवंरलाल गुर्जर

आदेश

दिनांक : 30.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 236, 237, 238, 239, 287, 288, 320 / 354 कुल किता 7 कुल रकबा 3.1323 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा संख्या 320 / 354 पर आ जाने हेतु खरेखटा से बसोली जाने वाली पक्की सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 320 / 350 पर होता हुआ प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज.

भूमि खसरा संख्या 320/354 पर आता जाता है, जिस पर प्रार्थीगण सदियों से आते जाते है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रॉली व़ कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले जाते आ रहे है, परन्तु उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हाने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 उक्त रास्ते को बन्द करने की फिराक में है, तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से नही निकलने दे रहे है, अभी 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर उक्त रास्ते से हकाई करने जाने लगे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के आडे फिर गये और धमंकी दी कि उक्त रास्ते से नहीं निकलने देगे, जिस कारण प्रार्थीगण के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याए आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का उक्त सिवायचक भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन है किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 320/354 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु खेरखटा से बसोली जाने वाली पक्की सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 320/350 पर 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड खेजडा में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अकित तथ्य खाता संख्या 31 की भूमिया होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित तथ्य कतई गलत मिथ्या मनगडन्त, कपोल, कल्पित होने से अस्वीकार है। खेरखटा, बसोली सडक से प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 320/354 में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 320/350 में वर्तमान व विगत समय कभी नहीं रहा है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 320/354 में आने जाने का रास्ता खेरखटा बसोली सडक से अन्य खातेदार की भूमि खसरा संख्या 320/355 पूर्व तरफ में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

होकर निकल रहा है, जिसका प्रार्थीगण के द्वारा अरसा कदीम से उपयोग किया जा रहा है, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट अ संलगन है, जो जवाब प्रार्थना का भाग है, इस प्रकार इस चरण में अंकित सम्पूर्ण तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थीगण को रास्ता घोषित करवाने के कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्यों की जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। साथ ही विशेष आक्षेप में अंकन किया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 320/354 में आने जाने का रास्ता सडक खसरा संख्या 320/350 से भूमि खसरा संख्या 320/355 की पूर्व दिशा में होकर निकल रहा है, इस प्रकार मौके पर रास्ता होने के कारण विधिक रूप से प्रार्थीगण को नवीन रास्ता प्राप्त करने अथवा घोषित करवाने के कानूनी अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 4 सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली ने पत्रांक :-राजस्व/25/767 दिनांक :-08.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 320/354 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 320/350 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने प्रस्तावित मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश प्रार्थीगण की भूमि में अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना अंकित करते हुए जॉच रिपोर्ट सही नहीं होना बताया जाकर उक्त जॉच रिपोर्ट को निरस्त कर नवीन विस्तृत जॉच रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर पर रास्ता चाहा गया है वह अप्रार्थीगण के खाते नहीं होकर राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल एक अतिक्रमी की हैसियत से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

काबिज काश्त है। वकील अप्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर जरिए दुरभाष सम्बन्धित पटवारी हल्का से जानकारी करने पर ऐसा कोई रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं होना अवगत करवाया गया। वकील अप्रार्थी ने भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना प्रमाणित हो। वकील अप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज की गई। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 320/350 में से 13.12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना व रास्ते की वास्तविक आवश्कता होना अंकित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 320/354 वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा में आने—जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेजडा के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 320/350 किस्म बंजड में से कुल 13.12 फीट चौडे व 157.44 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0192 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 600000/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0192 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 11520/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 23040/रू को निर्धारित मद में प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446